UPRB010051942026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट), रायबरेली।</u>

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या –2260 /2026

1. राहुल उम्र 24 वर्ष पुत्र माताफेर उर्फ पुरई।

2. शिवम उम्र 18 वर्ष पुत्र माताफेर उर्फ पुरई

समस्त निवासीगण ग्राम बख्तावर खेड़ा, मजरे मल्लपुर, थाना बछरावां, जिला–रायबरेली।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

1–उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली। .....अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–201/2026,
धारा–192(2),115(2),117(2),352,351(3),110 बी.एन.एस.
व धारा–3 (1)(द,ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,
थाना बछरावां, जिला रायबरेली

<u>दिनांक–10.08.2026</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण–**राहुल व शिवम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–201/2026, धारा–192(2),115(2),117(2),352,351(3),110 बी.एन.एस. व धारा–3(1)(द,ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना बछरावां जिला रायबरेली के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण आज जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा वादी मुकदमा को अन्तर्गत धारा 15A(3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सूचित किया गया।

वादी द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है कि दिनाँक 24/05/2026 को सुबह करीब 6.00 बजे प्रार्थी अपने पिता रामसागर पुत्र नन्कऊ व भाई श्यामू गौतम के साथ अपने खेड की मेड साफ सफाई कर रहा था। वहाँ पर विपक्षीगण पुरई, रोहित, राहुल, रामू, शिवम व रामकली फावड़ा लेकर पहुँचे और प्रार्थी को जातिसूचक माँ बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ देते हुये फावड़ा से प्रार्थी, रामसागर, श्यामू गौतम पर जानलेवा हमला कर दिया जिससे सभी को गम्भीर चोटे आयी है। विपक्षीगणों ने जान से मारने की धमकी भी दी है। मौके पर पहुँची डायल 112 नम्बर ने प्रार्थी, रामसागर, श्यामू गौतम की जान बचायी। सभी को बछरावाँ सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र बछरावाँ लाया गया जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद रामसागर, श्यामू गौतम को जिला अस्पताल रायबरेली रेफर दिया गया है। हालत गम्भीर है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए संक्षिप्तः यह कथन किया

गया है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण सर्वथा निर्दोष है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से अंकित करवायी गयी है। प्राथमिकी व चोटहिलों के बयानों के मध्य गंभीर विरोधाभाष है। प्राथमिकी में घटना के समय किसी साक्षी की उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी है जो दौरान विवेचना लिये गये साक्षियों/गवाहों के बयानो को संदिग्ध बनाती है। वादी मुकदमा के अनुसार उसका खेत गांव के बाहर है ऐसी स्थिति में सुबह के 6 बजे गांव वालो की वहां उपस्थिति अस्वाभाविक है। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्तगण व अन्य के विरूद्ध समान आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना के पश्चात स्थानीय पुलिस द्वारा 35(3) बी०एन०एस०एस० की नोटिस के बाद विवेचक को विवेचना मे पूर्ण सहयोग किया है, अभियुक्तगण को दौरान विवेचना उपरोक्त मामले मे गिरफ्तार नही किया गया है, न ही कोई बरामदगी की गई है। प्रार्थी/अभियुक्तगण आत्मसमर्पण कर दिनांक 03.08.26 से जिला कारागार में निरुद्ध है। किसी अभियुक्त द्वारा विशेष कृत्य किया जाना प्रदर्शित नही किया गया है। मामले की विवेचना में प्रदर्शित सभी गवाह वादी मुकदमा के गांव के है व मेली–मददगार है। विवेचनाधिकारी द्वारा लिये गये डाक्टरों के बयान में यह नहीं बताया गया है कि चोटहिलों को पहुंचायी गयी चोटे मृत्यु कारित करने हेतु पर्याप्त है अतः मामला 110 बी०एन०एस०एस० को आकर्षित नही करता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण के ऊपर आरोपित अपराध 7 वर्ष तक की सजा के है। प्रार्थी/अभियुक्तगण अपनी समुचित जमानत देने को तैयार हैं तथा वह जमानत का दुर्पोयोग नहीं करेंगे। प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं कथन किया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है, अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी/अभियुक्तगण पर आरोप है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण ने सहअभियुक्तों के साथ एक राय होकर खेत पर काम कर रहे वादी मुकदमा उसके पिता रामसागर व भाई श्यामू गौतम पर फावड़े से जानलेवा हमला करते हुए उन्हें गम्भीर चोटें पहुँचाई जिससे मजरूब रामसागर के कंधे में फ्रैक्चर आ गया व वादी के भाई/मजरूब श्यामू के सर में गम्भीर चोटें आई। वादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध वादी के भाई/मजरूब श्यामू कुमार की CT Head/Face/Neck में उल्लिखित है कि–

> "... ... Hair line non displaced fracture of right anterior parietal bone. Scalp edema with small subgaleal hematoma in left parietal region. Displaced fracture of condylar process of right hemi–mandible, posterior wall of right temporomandibular joint and non displaced complex fracture of body of left hemimandible closed to symphysis menti. Fracture line is also involving mandibular alveolus. Singnificant soft tissue injury is also noted around the fracture site."

मजरूब श्यामू की रेडियोलाजिकल जांच में उसे Intraparenchymal haematoma with subarachnoid haemorrage एवं Skull fracture/Mandibular fracture. आना उल्लिखित है। चिकित्सक की राय में मजरूब श्यामू को आई उपरोक्त समस्त चोटें गम्भीर प्रकृति की होने का उल्लेख किया गया है। वादी के पिता/मजरूब रामसागर की एक्स–रे रिपोर्ट में Fracture of Humeral Neck अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध मजरूबगण की मेडिकल रिपोर्ट से भी उन्हें गम्भीर चोटें आना परिलक्षित होता है।

केसडायरी सं०–2 पर चश्मदीद गवाह ओमप्रकाश, नान्हा व रामसुमिरन द्वारा अपने बयान में, अभियुक्तगण द्वारा वादी, उसके पिता व उसके भाई पर फावड़े से जान से मारने की नियत से हमला किये जाने का कथन किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र में अन्य जिन विसंगतियों को दर्शित करने का प्रयास किया गया है, वे साक्ष्य के विश्लेषण से सम्बन्धित हैं। प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण गैर–इरादतन हत्या करने जैसे गंभीर अपराध से सम्बन्धित है। प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार जमानत प्रार्थनापत्र **निरस्त** किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **राहुल** व **शिवम** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–201/2026, धारा–192(2),115(2),117(2),352,351(3),110 बी.एन.एस. एवं धारा–3 (1)(द,ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट**,** थाना बछरावां जिला रायबरेली के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

(श्रीमती प्रतिमा)
आई.डी.नम्बर–UP 2637
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
रायबरेली।
10.08.2026

आशुलिपिक
आर्यन पटेल

Digitally signed by PRATIMA TIWARI
Date: 2026.08.11 12:41:28 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court, Raebareli